माननीय एसपी कुर्दुकर, सीजे और वी.के. *बाली से पहले, जे.*

तारा चंद, - *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा वित्तीय निगम और
अन्य, - *प्रतिवादी*
1992 *का सीडब्ल्यूपी नंबर* 1867
19 जुलाई 1995

भारत का संविधान, 1950- *अनुच्छेद।* 226- *पंजाब नेशनल/ इमरजेंसी* (*रियायत*) *नियम,* 1965- *सैन्य सेवा लाभ- > नियुक्ति की मानी गई तारीख-कर्मचारी क्या नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का हकदार है -प्रश्न अनुत्तरित रह गया - रियायत नियमों की व्याख्या- संदेह व्यक्त किया गया।*

माना गया कि क्या याचिकाकर्ता को उन व्यक्तियों से ऊपर वरिष्ठता मिलनी चाहिए, जिन्हें तब नियुक्त किया गया था जब वह सेवा में नहीं था, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। पहली चीज़ जिस पर न्यायालय को ध्यान देने की आवश्यकता होगी वह है सेवा नियम। याचिकाकर्ता को सेना से छुट्टी मिलने के बाद हरियाणा वित्तीय निगम में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था और नियमों को देखे बिना यह ज्ञात नहीं है कि सहायक प्रबंधक के पद पर पुष्टि के लिए कुछ अवधि की आवश्यकता है या नहीं। क्या सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता की गणना निरंतर सेवा अवधि से की जाएगी या पुष्टि की तिथि से? यह भी ज्ञात नहीं है कि सेवा के नियमो□ के तहत, याचिकाकर्ता जिस पद पर कार्यरत है, उसके लिए सहायक प्रबंधक के पद पर कुछ वर्षों की सेवा की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि ऐसे व्यक्ति को अगले पदोन्नति पद यानी प्रबंधक और आगे के लिए विचार किया जा सके। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भी इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि यदि प्रबंधक के पद पर विचार करने से पहले एक सहायक प्रबंधक को उक्त पद पर रहने के लिए कुछ अवधि की आवश्यकता होती है, तो कम से कम उस समय तक कर्मचारी की कोई पदोन्नति नहीं हो सकती है। संबंधित व्यक्ति वास्तव में अपनी नियुक्ति की मानी गई तारीख क□ बावजूद सहायक प्रबंधक के पद पर बना रहता है।

(पैरा 6)

इसके अलावा, यह माना गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डिवीजन बेंच द्वारा उत्तर देने के लिए जिस प्रश्न का उल्लेख किया गया है, वह निश्चित रूप से कुछ महत्व रखता है, लेकिन यह न्यायालय इस मामले में इसका उत्तर न देना और इसके लिए प्रतीक्षा करना उचित समझता है। ऐसा मामला जिसमें बेहतर विवरण हो सकते हैं और जिसमें सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों को भी न्यायालय के ध्यान में लाया जा सकता है।

(पैरा 8)

याचिकाकर्ता के वकील आरके मलिक ।
प्रतिवादी की ओर से वकील संजीव वालिया।

प्रलय

वीके *बाली, जे.*

(1) विद्वान एकल न्यायाधीश के विचार में, यह प्रश्न कि क्या याचिकाकर्ता, जो एक पूर्व सैनिक है और वर्तमान में हरियाणा वित्तीय निगम में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्यरत है, अपनी नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का हकदार है या उस तारीख से जब पंजाब राष्ट्रीय

आपातकाल (रियायत) नियम, 1965 के प्रावधानों को निगम तक बढ़ाया गया था , कुछ महत्व का था, इस मामले को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक डिवीजन बेंच को भेजा गया था।

(2) मामले के तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता 17 अक्टूबर, 1963 को सेना में भर्ती हुआ था, जहां से उसे 17 अगस्त, 1969 को छुट्टी दे दी गई थी। भले ही उसने छह साल से कुछ कम समय के लिए सेना में सेवा की थी। आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लागू किया गया था, और 10 जनवरी 1968 तक लागू रहा, वह अपने नए कार्यभार में 4 साल, 2 महीने और 28 दिनों की अवधि के लिए सैन्य सेवा लाभ के हकदार थे, जिसे उन्होंने एक सैनिक के रूप में संभाला था। 21 जनवरी, 1980 को प्रतिवादी-वित्तीय निगम में सहायक प्रबंधक। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि पंजाब राष्ट्रीय आपातकालीन रियायत नियम, 1965 को बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से 16 अक्टूबर, 1990 को अपनाया गया और वित्तीय निगम पर लागू किया गया /उस ओर से निदेशकों की , - एजेंडा आइटम संख्या 185.36 के अनुसार जो इस प्रकार है: -

> "बोर्ड ने निगम के पूर्व-सैनिक कर्मचारियों को वरिष्ठता और वेतन वृद्धि के लाभ देने को मंजूरी दे दी, जिन्होंने राज्य सरकार की तर्ज पर आपातकालीन सेवा की घोषणा के संचालन के दौरान 26 अक्टूबर, 1962 से 10 जनवरी, 1968 तक सैन्य सेवा प्रदान की थी। इसके अलावा, बोर्ड ने राज्य सरकार और सिडबी के अनुमोदन से कर्मचारी विनियमन संख्या 22(3) के तहत वरिष्ठता के संबंध में विनियमन 22 में निम्नलिखित समावेशन को मंजूरी दी।
>
> *विनियम क्रमांक* 22(3) :
>
> एक कर्मचारी जिसने 26 अक्टूबर से आपातकाल जारी रहने के दौरान सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में कार्य किया है। 1962 से 10 जनवरी, 1968 तक के प्रावधानों के अनुसार पंजाब राष्ट्रीय आपातकालीन (रियायत) नियम, 1965 के तहत वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा।
>
> समय-समय पर हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं में निहित है।"

(3) उपरोक्त संकल्प के परिणामस्वरूप, निगम ने अपने सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया, जो नियुक्ति की मानी गई तारीख के कारण प्रभावित होने वाले थे, जिसे याचिकाकर्ता के मामले में लाभ देकर 26 अक्टूबर, 1975 तय किया गया था। सशस्त्र बल में 4 वर्ष, 2 महीने और 28 दिनों की अवधि के लिए उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा। निदेशक मंडल ने 23 मार्च 1992 को हुई अपनी बैठक में याचिकाकर्ता और हाम वोहरा को सैन्य सेवा लाभ को मंजूरी दे दी। यह भी निर्णय लिया गया कि उनकी वरिष्ठता उसी ग्रेड में तय की जाएगी जिस ग्रेड में वे उस समय कार्यरत थे। याचिकाकर्ता को जून, 1991 से वेतन वृद्धि का लाभ भी दिया गया और 21 जनवरी, 1980 से मई, 1991 तक का बकाया उसे नहीं दिया गया। सेवा में माने जाने की तारीख से उनकी वरिष्ठता भी उन्हें नहीं दी गई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अभ्यावेदन दाखिल करना पड़ा। इसके बाद याचिकाकर्ता ने वरिष्ठता के लिए कुछ अभ्यावेदन भी दिए,

लेकिन जब उसे नियुक्ति की नियत तारीख से वरिष्ठता नहीं दी गई, तो उसने इस न्यायालय में वर्तमान रिट दायर की। जाहिर है, याचिकाकर्ता की मूल प्रार्थना यह है कि प्रतिवादी निगम को उसे 20 अक्टूबर, 1975 की नियुक्ति की तारीख देने का निर्देश दिया जाए और उसके बाद उससे कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख से उसे पदोन्नति के लिए माना जाए। मांगे गए निर्देशों के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता की आगे की प्रार्थना है कि उसे उत्तरदाताओं 2 से 9 तक वरिष्ठ घोषित किया जाए, जिन्हें उसकी नियुक्ति की तारीख के बाद सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था ।

(4) मामले में दायर जवाब के माध्यम से प्रतिवादी-निगम द्वारा याचिकाकर्ता के तर्क का विरोध किया गया है । इसमें दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता को तुरंत वरिष्ठता नहीं दी जा सकती क्योंकि अन्य प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं जिन्हें अंतिम आदेश पारित करने से पहले सुना और तय किया जाना था। प्रतिवादी ने 23 मार्च, 1992 को हुई अपनी बैठक में याचिकाकर्ता को सैन्य सेवा लाभ देने की मंजूरी दे दी थी। निदेशक मंडल ने सैद्धांतिक रूप से याचिकाकर्ता को सैन्य सेवा लाभ देने की मंजूरी दे दी थी, और बोर्ड के उक्त निर्णय को आगे बढ़ाया जा रहा है। अपेक्षित औपचारिकताओं के अनुपालन के बाद उचित समय पर कार्यान्वित किया जाएगा। उप-समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद सिफारिश की कि मामले को फिर से बोर्ड के समक्ष इस टिप्पणी के साथ रखा जाए कि बोर्ड उप-समिति की टिप्पणियों के मद्देनजर अपने पहले के फैसले की समीक्षा कर सकता है, बोर्ड विचार करने के बाद

11 नवंबर, 1991 की उप-समिति की सिफारिशों/टिप्पणी ने आखिरकार 23 मार्च, 1992 को याचिकाकर्ता को सैन्य सेवा लाभ देने की मंजूरी दे दी। प्रतिवादी का मामला यह है कि यह केवल तभी हुआ जब आपातकालीन रियायत नियमों को बढ़ाया गया था। निगम के कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाया गया कि याचिकाकर्ता इस तरह के लाभ पाने का हकदार है और चूंकि अस्थायी वरिष्ठता सूची तैयार करने, आपत्तियां आमंत्रित करने, सुनवाई करने और उनका निपटारा करने में समय लगा, इसलिए 23 मार्च, 1992 को मामले का फैसला किया गया। याचिकाकर्ता निर्णय की तिथि से वरिष्ठता का हकदार होगा।

(5) याचिकाकर्ता के वकील श्री राम कुमार ने दृढ़ता से तर्क दिया कि याचिकाकर्ता, जिसने एक महत्वपूर्ण समय में सशस्त्र बल में चार साल से अधिक समय बिताया है जब देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा था, सभी स्वीकार्य लाभों का हकदार है। एक कर्मचारी को, जिसे सशस्त्र बलों से छुट्टी दे दी गई है और यदि याचिकाकर्ता को उसकी नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता से वंचित किया जाता है, तो निगम के लिए रियायत नियम, 1965 की प्रयोज्यता का कोई अर्थ और परिणाम नहीं होगा। विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता की निर्धारित तिथि के बाद नियुक्त सभी व्यक्तियों को उससे कनिष्ठ होना चाहिए।

(6) हमने इस मामले पर विचारपूर्वक विचार किया है, लेकिन मामले के रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर हमारी राय है कि इस मामले में याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती। यह कि क्या याचिकाकर्ता को उन व्यक्तियों से ऊपर वरिष्ठता मिलनी चाहिए, जिनकी नियुक्ति तब हुई थी जब वह सेवा में नहीं था, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। "पहली चीज़ जिस पर न्यायालय को ध्यान देने की आवश्यकता होगी वह सेवा नियम होंगे।" याचिकाकर्ता

को सेना से छुट्टी मिलने के बाद हरियाणा वित्तीय निगम में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था और नियमों को देखे बिना यह ज्ञात नहीं है कि सहायक प्रबंधक के पद पर पुष्टि के लिए कुछ अवधि की आवश्यकता है या नहीं। क्या सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता की गणना निरंतर सेवा अवधि से की जाएगी या पुष्टि की तिथ□ से? यह भी ज्ञात नहीं है कि सेवा के नियमों के तहत, याचिकाकर्ता जिस पद पर कार्यरत है, उसे सहायक प्रबंधक के पद पर कुछ वर्षों की सेवा की आवश्यकता है, इससे पहले कि ऐसे व्यक्ति को अगले पदोन्नति पद यानी प्रबंधक और आगे के लिए विचार किया जा सके । याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भी इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि यदि किसी सहायक प्रबंधक को प्रबंधक के पद के लिए विचार किए जाने से पहले उक्त पद पर रहने के लिए कुछ अवधि की आवश्यकता होती है, तो ऐसा नहीं हो सकता है।

पदोन्नति तब तक की जाएगी जब तक कि कम से कम संबंधित कर्मचारी वास्तव में सहायक प्रबंधक के पद पर बना रहे, भले ही उसकी नियुक्ति की तारीख कुछ भी हो।

(7) एलएलसी रियायती नियमों की व्याख्या करते हुए, किसी व्यक्ति को अगले उच्च रैंक के लिए विचार करने के लिए किसी विशेष पद के लिए प्रशिक्षण या नियुक्ति की वास्तविक अवधि को ध्यान में रखते हुए, *एक* विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी और कई मामलों में, यह पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाएगा । सुलझे मामले. इसे परखने के लिए, एक उदाहरण के रूप में, आइए देखें कि क्या होगा जब एक व्यक्ति जिसे किसी कर्मचारी से कनिष्ठ कहा जाता है, जिसने सेना में सेवा की है और सभी सैन्य सेवा लाभों का हकदार है, को अगले तत्काल पद पर नहीं बल्कि पदोन्नत किया गया है 2-3 रैंक आगे. क्या ऐसे व्यक्ति को उस स्थिति में वापस कर दिया जाना चाहिए जब केवल एक ही पद मौजूद हो और जो व्यक्ति सेना में काम कर चुका हो उसे निचले पद पर बिना किसी प्रशिक्षण या अनुभव के भी पदोन्नत किया जाना चाहिए? इस न्यायालय के स्पष्ट विचार में ऐसी स्थिति से बचना चाहिए।

(8) इस मामले की आंशिक सुनवाई 4 जुलाई, 1995 को हुई थी और जिस समय उक्त तिथि पर बहस समाप्त हुई, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को याचिकाकर्ता के रास्ते मे□ आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया गया और सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों को रिकॉर्ड में लाने के लिए कहा गया। याचिकाकर्ता को या कम से कम न्यायालय को उन प्रासंगिक नियमों से अवगत कराएं जिन पर इस मामले में विवाद को सुलझाने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। हालाँकि, स्थगित तिथि पर, विद्वान वकील ने न्यायालय को संबंधित नियमों से अवगत नहीं कराया, भले ही उन्होंने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियंत्रित करने वाले सेवा नियम या विनियम मौजूद हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डिवीजन बेंच द्वारा उत्तर देने के लिए जिस प्रश्न का उल्लेख किया गया है, वह निश्चित रूप से कुछ महत्व रखता है, लेकिन यह न्यायालय इस मामले में इसका उत्तर न देना और किसी मामले की प्रतीक्षा करना उचित समझता है। बेहतर विवरण हो सकते हैं और जिसमें सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों को भी न्यायालय के ध्यान में लाया जा सकता है।

(9) इस रिट में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, हम इसे खारिज करते हैं, तथापि, पार्टियों को

अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

आरएनआर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय केवल वादकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह इसे अपनी भाषा में समझ सके और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी न्यायिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए मान्य होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हिमानी सागर

प्रशिक्षित न्याय अधिकारी, हरियाणा